भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1799
10 दिसंबर, 2025 के लिए प्रश्न

पश्चिम बंगाल में पीडीएस धान का भंडारण

1799. श्री सौमित्र खान:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) मानसून के दौरान पश्चिम बंगाल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) धान के सुरक्षित भंडारण को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है;
(ख) सार्वजनिक वितरण प्रणाली में उचित भंडारण सुविधाओं के अभाव के कारण पश्चिम बंगाल में मानसून के दौरान विगत तीन वर्षों के दौरान कितने प्रतिशत धान की बर्बादी हुई;
(ग) सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली में भारी वर्षा, बाढ़ तथा अन्य अत्यंत मौसमी घटनाओं से होने वाले नुकसान से खाद्यान्नों की सुरक्षा किस प्रकार करती है;
(घ) विगत पांच वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली खाद्यान्नों के भंडारण हेतु बुनियादी ढांचे में सुधार लाने हेतु नए गोदामों के निर्माण और नवीनीकरण सहित सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;
(ड.) पश्चिम बंगाल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली खाद्यान्नों के भंडारण और खाद्यान्न ले जाने में सामान की बर्बादी को कम करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं; और
(च) विगत पांच वर्षों के दौरान खाद्य आपूर्ति एवं सार्वजनिक वितरण हेतु सरकार द्वारा आबंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री
(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क) और (ख): खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग (डीएफपीडी) भंडारण क्षमता का निरंतर आकलन और निगरानी करता है और भंडारण कमी के आकलन के आधार पर, पश्चिम बंगाल सहित देश भर में निम्नलिखित योजनाओं के माध्यम से भंडारण क्षमताएँ निर्मित/किराए पर ली जाती हैं:

- निजी उद्यमी गारंटी (पीईजी) योजना
- केंद्रीय क्षेत्र योजना (सीएसएस) "भंडारण और गोदाम" (पूर्वोत्तर पर अभिकेंद्रित)
- केंद्रीय भंडारण निगम (सीडब्ल्यूसी)/राज्य भंडारण निगमों (एसडब्ल्यूसी)/राज्य एजेंसियों से गोदाम किराए पर लेना

...2/-

- निजी भंडारण योजना (पीडब्ल्यूएस)
- परिसंपत्ति मुद्रीकरण के तहत गोदामों का निर्माण
- सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) पद्धति के तहत साइलो का निर्माण

तथापि, पश्चिम बंगाल एक विकेन्द्रीकृत खरीद (डीसीपी) राज्य है और विगत तीन वर्षों के दौरान भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) द्वारा धान की कोई खरीद नहीं की गई है और राज्य सरकार, पश्चिम बंगाल में धान की खरीद का कार्य स्वयं करती है।

(ग): विभाग गोदामों के निर्माण हेतु विशिष्ट विनिर्देशों का पालन करता है, जो नवीनतम भंडारण मानकों के अनुरूप हैं और गोदाम में रखे माल की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। गोदामों में खाद्यान्नों का वैज्ञानिक तरीके से भंडारण किया जाता है। भारी वर्षा, बाढ़ और अन्य चरम मौसमी घटनाओं की स्थिति में, संरचनात्मक कमियों की पहचान की जाती है और भारी वर्षा के दौरान नुकसान को कम करने हेतु आवश्यक मरम्मत/रखरखाव किया जाता है। इसके अलावा, बाढ़-संभावित क्षेत्रों में अतिरिक्त पॉलीथीन रोल, **एमएलसीएल** कवर और पंपिंग उपकरण जैसी आपातकालीन व्यवस्थाएँ तैयार रखी जाती हैं।

इसके अतिरिक्त, अपनी भंडारण अवसंरचना को सुदृढ़ और अद्यतन बनाए रखने के लिए, विभाग आधुनिकीकरण हेतु निम्नलिखित विभिन्न कदम उठा रहा है:

(i) सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) पद्धति के अंतर्गत साइलो का निर्माण:

बल्क हैंडलिंग सुविधा युक्त स्टील साइलो भंडारण, थोक में खाद्यान्न भंडारण का एक अत्यधिक मशीनीकृत और आधुनिक तरीका है। यह खाद्यान्नों के बेहतर संरक्षण को सुनिश्चित करता है और उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाता है। यदि खाद्यान्न को साइलो में संग्रहीत किया जाए और थोक में परिवहन किया जाए, तो पारंपरिक गोदामों में बोरियों में खाद्यान्न भंडारण की तुलना में चोरी, लूट और परिवहन से होने वाले नुकसान नगण्य होंगे।

(ii) स्मार्ट वेयरहाउस परियोजना:-

विभाग ने भारतीय खाद्य निगम के 150 गोदामों और केंद्रीय भंडारण निगम (सीडब्ल्यूसी) के सभी खाद्यान्न गोदामों में स्मार्ट वेयरहाउसिंग तकनीकों पर एक पायलट परियोजना शुरू की है, जिसमें खाद्यान्न भंडारण में सुरक्षा और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए वास्तविक समय के आधार पर CO2 और फॉस्फीन के स्तर, आग के जोखिमों, आर्द्रता, अनधिकृत प्रवेश और तापमान जैसे प्रमुख मापदंडों की निगरानी के लिए सीसीटीवी निगरानी और आईओटी संवेदक शामिल हैं।

(iii) भारतीय खाद्य निगम और केंद्रीय भंडारण निगम की भंडारण सुविधाओं के आधुनिकीकरण और डिजिटलीकरण के चरण में **डिपो दर्पण पोर्टल** भी शुरू किया गया है। यह पोर्टल भंडारण सुविधाओं के स्व-मूल्यांकन, रेटिंग और ग्रेडिंग की सुविधा प्रदान करता है।

...3/-

(घ): बिंदु (क) और (ख) में उल्लिखित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से भंडारण क्षमताएँ निर्मित/किराए पर ली जा रही हैं।

इसके अतिरिक्त, पश्चिम बंगाल क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न खाद्य भंडारण डिपो की आवश्यकता के अनुसार, भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) ने फर्श, चारदीवारी के निर्माण कार्य और नई सीमेंट कंक्रीट सड़क और छत के निर्माण सहित कई मरम्मत रखरखाव और रंगाई कार्य शुरू किया है। इनमें से कई कार्य पहले ही पूरे हो चुके हैं और शेष दिनांक 31.03.2026 तक पूर्ण हो जाएँगे। इसके अतिरिक्त, सभी डिपो को दिन-प्रतिदिन की मरम्मत और रखरखाव कार्यों के लिए आवश्यक फुटकर राशि आवंटित की गई है।

केंद्रीय भंडारण निगम (सीडब्ल्यूसी) निम्नलिखित पहलों के माध्यम से भी अपनी भंडारण अवसंरचना में सुधार के लिए कदम उठा रहा है:-

- एसी शीट्स को गैल्वेनाइज्ड शीट्स से बदलना।
- एफएम2 फर्श का उपयोग।
- वॉल क्लैडिंग/पफ पैनल्स की स्थापना।
- एयर बबल रैप शीट्स का समावेश।

(ड.): देश में खाद्य आपूर्ति श्रृंखला को आधुनिक बनाने के लिए, विभाग आधुनिक स्टील साइलो का निर्माण कर रहा है और पीपीपी (सार्वजनिक-निजी भागीदारी) पद्धति के तहत विशेष वैगनों और कंटेनरों के माध्यम से खाद्यान्नों के थोक परिवहन की योजना बना रहा है। बल्क हैंडलिंग सहित स्टील साइलो भंडारण, थोक में खाद्यान्न भंडारण का एक अत्यधिक स्वचालित और आधुनिक तरीका है। यह खाद्यान्नों के बेहतर संरक्षण और कम नुकसान को सुनिश्चित करता है।

इसके अलावा, भंडारण हानि और पारगमन हानि को कम करने के लिए किए गए उपाय **अनुबंध** में संलग्न हैं।

(च): खाद्य सब्सिडी जारी करना एक सतत प्रक्रिया है और राज्य सरकार के दावों की स्वीकार्यता की उचित जाँच के बाद मौजूदा सिद्धांतों और निधि की उपलब्धता के अनुसार जारी की जाती है। विगत 5 वर्षों और चालू वर्ष में पश्चिम बंगाल सरकार को जारी की गई खाद्य सब्सिडी का विवरण इस प्रकार है:

(करोड़ रुपये में)

वित्तीय वर्ष	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 (दिनांक 02/12/2025 के अनुसार)
पश्चिम बंगाल	8792.03	5421.34	6580.11	0.00*	8899.88	9352.14

*राज्य सरकार द्वारा वितरण डाटा के लंबित समाधान के कारण खाद्य सब्सिडी जारी नहीं की जा सकी और तदनुसार, वित्त वर्ष 2023-24 से आगे के उक्त बिल अब वित्त वर्ष 2025-26 में जारी किए गए हैं।

अनुबंध

लोकसभा में दिनांक 10.12.2025 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1799 के उत्तर के (ड.) में उल्लिखित अनुबंध

भंडारण हानि को कम करने के लिए किए गए उपाय इस प्रकार हैं:-

मुख्यालय स्तर पर मासिक निष्पादन समीक्षा बैठकों (एमपीआर) में भंडारण हानि की स्थिति की समीक्षा की जाती है और कार्यकारी निदेशक (अंचल)/महाप्रबंधक (क्षेत्र) को उच्च भंडारण एवं पारगमन हानि दर्शाने वाले डिपो के निरीक्षण/निगरानी में तीव्रता लाने के निदेश दिए जाते हैं।

खाद्यान्नों के सीएपी भंडारण से बचने के लिए कवर्ड भंडारण क्षमता को बढ़ाया गया है।

खाद्यान्न भंडारों को कीटों/संक्रमणों से मुक्त रखने के लिए, अर्थात जैविक कारकों से होने वाली हानि को न्यूनतम करने के लिए, समय-समय पर उनका रोगनिरोधी और उपचारात्मक निदान किया जाता है।

किसी माह में उच्च भंडारण हानि दर्शाने वाले डिपो का निरीक्षण कार्यकारी निदेशक (अंचल), महाप्रबंधक (क्षेत्र) और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के स्तर पर किया जाता है।

स्टॉक की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एफसीआई के डिपो पर एफसीआई, होमगार्ड और अन्य बाहरी एजेंसियों के सुरक्षा कर्मचारियों को तैनात किया जा रहा है।

बेहतर निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए स्वामित्व वाले डिपो में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं।

गोदामों की सुरक्षा के लिए वास्तविक उपाय किए जा रहे हैं, जैसे कि चारदीवारी पर कंटीले तारों की बाड़ लगाना, गोदामों में रोशनी के लिए स्ट्रीट लाइट लगाना और शेडों पर उचित ताला लगाना।

जहाँ भी असामान्य/अनुचित नुकसान की सूचना मिलती है, वहाँ उचित जाँच के बाद दोषियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा रही है।

पारगमन हानियों को कम करने के लिए किए गए उपाय इस प्रकार हैं: -

- मुख्यालय स्तर पर मासिक निष्पादन समीक्षा बैठक में पारगमन हानियों की समीक्षा की जाती है।
- मुख्यालय/अंचल/क्षेत्र/ज़िला स्तरों पर नियमित अंतराल पर उच्च पारगमन हानियों की जाँच।
- बिखरे हुए अनाज को उठाने के लिए रेलवे वैगनों के फर्श पर पॉलीथीन शीट बिछाना।
- ज़िम्मेदारी तय करने के लिए उच्च पारगमन हानि वाले मामलों का संयुक्त सत्यापन। संयुक्त उद्यमों के लिए कुल परिवहन हानि की निचली सीमा 1% से घटाकर 0.75% और तत्पश्चात दिनांक 1.10.2022 से 0.50% कर दी गई है।
- 1 जनवरी, 2022 से खाद्यान्नों के लदान के समय वैगनों पर उच्च सुरक्षा केबल सील का कार्यान्वयन, ताकि रास्ते में चोरी से बचा जा सके। इससे असामान्य पारगमन हानि की रिपोर्ट करने वाले रेकों की संख्या में 92% अर्थात 0.5% से अधिक की कमी आई।
- रेलवे स्टेशन पर जमा हुए तैयार बैगों का हिसाब रखा जा रहा है।
- जहाँ भी असामान्य/अनुचित पारगमन हानि की सूचना मिलती है, वहाँ दोषियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जा रही है।
- लदाई करने/उतारने के समय स्वतंत्र माल प्रमाणन दस्ते (आईसीसीएस) की तैनाती की जा रही है।
